राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामू बनाम बोदू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 02/04/2026 को पेश हो |	
02/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/08/2024 पारित करते हुये ग्राम पिण्डोलाई, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माचवा, तहसील कालवाड, जिला जयपुर स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 1095/165 रकबा 0.7588 हैक्टेयर में सम्बंधित तहसीलदार से बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित नियम 18 से 21 की पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर पक्षकारो को सूचित करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/08/2024 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से कुर्रेजात तैयार करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये आदेश में कोई विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | पक्षकारान/सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से प्रकट किये गये उज्र के आधार पर लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/08/2024 विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 02/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |	